

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/587/2015

दिनांक: 04/11/2015

कार्यालय-ज्ञाप

परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 29.10.2015 के कार्यवृत्त की विनिश्चय संख्या-1(क) में निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

"सत्र 2015-16 की बी0एससी0 प्रथम वर्ष की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, औद्योगिक रसायनशास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक आदि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अथवा अन्य प्रायोगिक विषय जो बी0एससी0 पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा लिये गये हो, की प्रायोगिकी केवल आन्तरिक परीक्षकों द्वारा सम्पन्न करायी जाएगी। जिन महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषय के शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं वे विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आन्तरिक परीक्षक की नियुक्ति कराकर प्रायोगिकी सम्पन्न करायेंगे। सम्बन्धित प्रायोगिकी के अंक पूर्व की भांति विश्वविद्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फारमूले (Formula) के अनुसार ग्रेड में परिवर्तित कर लिया जाएगा।

बी0एससी0 प्रथम वर्ष में आन्तरिक प्रायोगिक मूल्यांकन :-

- एक अन्तः वार्षिक तथा एक वार्षिक आन्तरिक प्रायोगिक मूल्यांकन होगा।
- इन दोनों परीक्षाओं में कम से कम 40 दिन का अन्तराल आवश्यक होगा।
- उक्त मूल्यांकनों की योजना पाठ्यक्रम में दिए प्रारूप के आधार पर होगी।
- प्रायोगिकी हेतु निर्धारित अंकों के 50% अंकों में अन्तः वार्षिक तथा 50% अंकों में वार्षिक मूल्यांकन होगा।
- महाविद्यालय उपरोक्त दोनों मूल्यांकनों से सम्बन्धित सभी आलेख-प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति आदि सुरक्षित रखेंगे तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में दिए स्थान पर अंक चढ़ाने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को हस्तगत करा देंगे।
- इन मूल्यांकनों के प्रत्येक पक्ष का पुनर्परीक्षण, सत्यापन, पुनरावलोकन तथा जाँच आदि आवश्यक होने पर किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त अनियमितता के अंशों के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही, जिसमें एक या दोनों मूल्यांकनों का निरस्तीकरण भी सम्भव है, की जाएगी।
- ग्रेड (श्रेणी) निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अन्तः वार्षिक तथा वार्षिक मूल्यांकन में दिए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा।

अर्ह परीक्षक एवं उनकी नियुक्ति :-

- किसी भी प्रायोगिकी- अन्तः वार्षिक/वार्षिक संचालन हेतु केवल वह शिक्षक अर्ह होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परीक्षकों की सूची में सम्मिलित हो।
- परीक्षार्थियों का एक समूह 100 से अधिक का नहीं होगा। ऐसे प्रत्येक समूह के मूल्यांकन हेतु परीक्षक भिन्न होंगे अर्थात् एक ही महाविद्यालय के दो परीक्षार्थी समूहों की परीक्षा एक ही परीक्षक नहीं करायेंगे।
- यदि किसी महाविद्यालय में छात्र समूहों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षक उपलब्ध न हो तो वह महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक परीक्षक नियुक्त करायेंगा।

श्रेणी (Grade) निर्धारक अंक सीमायें :-

क्र.सं.	अंक प्रतिशत (%) में	ग्रेड
1.	80% से अधिक	A
2.	65.01% से 80% तक	B

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/ 587 /2015

दिनांक : 04/11/2015

3.	50.01% से 65% तक	C
4.	40.01% से 50% तक	D
5.	33% से 40% तक	E
6.	33% से कम होने पर	F. अर्थात अनुत्तीर्ण

तथापि उपरोक्त नियमों में परिस्थिति जन्य कारणों से आवश्यक परिवर्तन किए जाने पर महाविद्यालयों की ई-मेल तथा लॉगिन पर अग्रिम सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। महाविद्यालय 30 नवम्बर, 2015 तक अन्तः वार्षिक (Mid Sem) तथा 15 फरवरी, 2016 तक वार्षिक आन्तरिक प्रायोगिकी सम्पन्न करा लें। दोनों प्रायोगिकी के अंक एक साथ जोड़कर गतवर्ष की भांति विश्वविद्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाय। बी0एससी0 प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों/कक्षाओं की प्रायोगिकी गतवर्ष की भांति सम्पन्न करायी जाय।”

परीक्षा समिति के उक्त विनिश्चय के अनुपालन में सत्र 2015-16 की सम्बन्धित प्रायोगिकी उक्तानुसार सम्पन्न करायी जाएगी। आदेशानुसार अन्य समस्त कक्षाओं/पाठ्यक्रमों की प्रायोगिकी/मौखिकी गतवर्ष की भांति 01 जनवरी, 2016 से 15 फरवरी, 2016 तक सम्पन्न कराते हुए ऑनलाइन प्रेषित अंकों की हार्ड कॉपी, समूह छायाचित्र एवं 75 प्रतिशत से अधिक अंक दिए जाने के औचित्य की आख्या सहित अभ्यर्थियों की प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं प्रायोगिकी/मौखिकी सम्पन्न होने के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधिकारीगण।
2. प्रभारी, कूट प्रकोष्ठ।
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर भीअपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय0 सहायक, वित्त अधिकारी।
6. वैय0 सहायक, कुलसचिव।
7. वैय0 सहायक, परीक्षा नियंत्रक।
8. आदेश पुस्तिका।

(राकेश कुमार)
सहा0 कुलसचिव (अतिगोपनीय)